न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारीः– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः– 64 / 2024

1. अरमानसिहं उम्र 8 माह नावालिग जरिये कुदरती वली माता अमनदीप कौर पत्नी इन्द्रजीतसिहं पुत्र प्यारासिहं जाति कुम्हार साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– प्रार्थी

–:बनामः–

1. इन्द्रजीतसिहं पुत्र प्यारासिहं जाति कुम्हार साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. प्यारासिहं पुत्र करनैल सिंहं जाति कुम्हार साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. सुखमन्द्रसिहं पुत्र प्यारासिहं जाति कुम्हार साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. गुरजंट सिंहं पुत्र प्यारासिहं जाति कुम्हार साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

–– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री शैलेन्द्र बिश्नोई	–– प्रार्थी
2.	श्री शैलेन्द्र नायक	–– अप्रार्थी सं. 1
3.	श्री अर्जुन सिंह नरूका	–– अप्रार्थी संख्या 2 ता 4
4.	राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।	–– अप्रार्थी सं. 5

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 29.7.24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगंण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र बिश्नोई द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथ्य निम्नानुसार है कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका हैं जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण संभावना एवं ठोस आधार है यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 13 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य हैं जो परस्पर सहदायिकी व सहअशंदायी हैं जो हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कुल ऑफ लॉ से शासित होते हैं। सजरा खानदान अंकित किया गया है। प्रार्थी के पड़ दादा करनैलसिहं पुत्र रणसिहं के नाम से कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलजीडब्ल्यु के खाता सं. 107 / 8 के प.नं. 49 / 282 (42) के किला न. 4 / 1,4 / 2, 5 / 1, 5 / 2 6 ता 25 व प. नं. 49 / 283(57) के किला न. 1 / 1,1 / 2, 2 / 1,2 / 2,3 / 1,3 / 2,4 / 1, 4 / 2,5 / 1, 5 / 2, 6 ता 16 दोनों पत्थरों की कुल तादादी 9.6140 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड मय गै.मु. रास्ता खातेदारी में 3669 / 4807 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। यह कि प्रार्थी के दादा अप्रार्थी सं. 2 प्यारासिहं पुत्र करनैलसिहं के नाम से कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 एलजीडब्ल्यु के खाता सं. 64 / 51 के प.नं. 37 / 278 (26) के किला न. 6 / 1, 6 / 2, 7 ता 14, 15 / 1, 15 / 2, 16 / 1, 16 / 2,16 / 3,17 / 1,17 / 2,18 / 1,18 / [illegible] 21 ता 24, 25 / 1, 25 / 2, व प.नं. 37 / 279 (34) के किला न. 1 ता 4,5 / 1,5 / [illegible] दोनों पत्थरों की कुल तादादी 6.325 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड मय गै.मु. रास्ता खाला खातेदारी में 1 / 4 [illegible] दर्ज राजस्व रिकॉर्ड वाके है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:28:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के पड.दादा करनैलसिहं की [illegible] भूमि है। प्रार्थना पत्र कि दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि को प्रार्थी [illegible] पड. दादा करनैलसिहं ने [illegible] पुत्र कि दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि व पैतृक सम्पति की आय से भगवानाराम वर्ग. से खरीद कर अपने नावालिग पुत्रो यानी अंप्रार्थी सं. 2,5,6,7 के नाम पंजीयन बैयनामा करवाकर राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दिनांक 05. 06.1964 को दर्ज करवा दिया था। वरवक्त बैयनामा अप्रार्थी सं. 2, 5, 6, 7 नावालिग थे जिनकी आयु लगभग मिट्ठुसिहं 15 वर्ष, प्यारासिहं 12 वर्ष, गुल्लासिहं 10 वर्ष,

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

मालासिहं 8 वर्ष की थी। दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति की आय से प्रार्थी के पड. दादा करनैलसिहं द्वारा खरीदी गई हैं जो कि पैतृक की श्रेणी में आती हैं तथा पैतृक ही हैं प्रार्थी के पड. दादा करनैलसिहं पुत्र रणसिहं कालान्तर में फौत हो चुके है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

प्रार्थी के दादा व पड.दादा करनैलसिहं के नाम दर्ज कृषि भूमि में से प्रार्थी के दादा यानी अप्रार्थी सं. 2 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि का अर्सा पुर्व घराघरू बटवारा किया था जिसमें प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी की बुआ अप्रार्थी सं. 10, 11 को उनका 1.051 हैक् नहरी अनकमाण्ड हक व हिस्सा दोनो चको में अच्छी मंदी के हिसाब से दिया गया है। प्रार्थी का अपने पिता अप्रार्थी सं: 1 के हक हिस्सा यानी 0.350 हैक्ट. में 1/2 यानी 0.175 हैक्ट. हक हिस्सा निहित है। चुकि अप्रार्थी सं. 10 व 11 प्रार्थी की बुआ है जिन्होने अपने हक व हिस्सा की भूमि यानी 0.700 हैक् नहरी अनकमाण्ड स्नेहवंश अपने भतिजे प्रार्थी अरमान सिहं के पक्ष में मोखिक रूप से छोड़ रखा है। इस प्रकार प्रार्थी कुल 0.8751 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड हक व हिस्सा दोनो चको में अच्छी मंदी के हिसाब से दिया गया है जिस पर वादी शान्तिपूर्वक काबिज होकर हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करते आ रहे है परन्तु उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पड,दादा करनैलसिहं व दादा अप्रार्थी सं. 2 के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी की हक–हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये प्रार्थी अपने हक हिस्सा की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने की हकदार है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 13 जो कि लालची किस्म के व्यक्ति है। अप्रार्थी स. 2 अन्य प्रतिवादीगण सं. 13,4 के नाजायज दबाब मे है। इसी नाजायज दबाब के चलते दफा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि को औने पौने दामो में किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करना चाहते है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त ही मुशकिल होगा व प्रार्थी अपनी पैतृक कृषि भूमि से महरूम हो जायेगा। इसलिये प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है कि अप्रार्थीगण दफा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि को अन्य रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिंल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला वाद विरूद्व अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक चक 3 एलजीडब्ल्यु के खाता सं. 107/8 के प.नं. 49/282 (42) के किला न. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25 व प.नं. 49/283(57) के किला न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 16 दोनों पत्थरों की कुल तादादी 9.6140 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड मय गै.मु. रास्ता खातेदारी में 3669/4807 हिस्सा व तहसील पीलीबंगा के चक 5 एल जी डब्ल्यु के खाता सं. 64/51 के प.नं. 37/278 (26) के किला न. 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21 ता 24, 25/1, 25/2 व प.नं. 37/278 (34) के किला न. 1 ता 4, 5/1, 5/2 दोनों पत्थरों की कुल तादादी 6. 325 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड मय गै.मु. रास्ता खाला खातेदारी में 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरूका अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गय एवं जवाब जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स. 2 की और से प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार से हैं कि उक्त अनवान वाद पत्र न्यायालय मे पेश कियर जाना स्वीकार है लेकिन प्रकरण माननीय न्यायालय को गुमर[illegible] इसलिए कामयबी की कोई सम्भावना नही है न ही कोई ठोस आधार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:28:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र की दफा 2 में [illegible] जीवन काल में पत्नी उसकी वारिस नहीं हो सकती मुताबिक हिन्दू विधि [illegible] एक ही इकाई होती है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है [illegible]ार्थी स्वंय सिद्ध करें। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है। प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी की खरीदशुदा कृषि भूमि है जिसे अप्रार्थी ने अपनी मेहनत मजदूरी के आधार पर खरीद की थी, इसलिए

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थी ने केवल मनगढत तथ्यो पर आधारित कथन अंकित किये है, वैसे उक्त अनवान प्रार्थना पत्र से पूर्व प्रार्थी के पिता यानिकि अप्रार्थी स. 1 द्वारा एक अन्य वाद पत्र व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय पेश किया था जिसकी प्रकरण संख्या 102/2024 व 52/2024 अनवान इन्द्रजीत सिंह बनाम प्यारा सिंह माननीय न्यायालय मे दिनाक 15.04.2024 को पेश किया था, तथा उक्त प्रकरणो मे माननीय न्यायालय द्वारा तलबी हेतू दिनाक 16.05.2024 की तिथी निंधारित की गई थी, जिसमें मिन अप्रार्थी स. 2 को तामील हो जाने के बाद मिन अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र व जवाब वाद पत्र माननीय न्यायालय मे पेश कर दिया था, जवाब प्रार्थना पत्र व वाद पत्र पेश हो जाने के बावजूद माननीय न्यायालय की फर्म अहकाम पर उसका अंकन नही है, जबकि जवाब की प्रति तत्कालीन वकील साहब को भी पहूंच की गई थी, उक्त अनवान वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में अनुतोष अलग अलग चाहे गये थे, जिसका मेरे द्वारा जवाब मे विवरण दिया गया था, ऐसी स्थिति में प्रार्थी इन्द्रजीत सिंह को अपने प्रकरण के खारिज होने का अंदेशा था क्योकि प्रार्थी इन्द्रजीत सिंह स्वच्छ हाथो से माननीय न्यायालय मे पेश नही हुआ था इसलिए उसने उक्त अनवान दोनो प्रकरणो के जैरकार रहते एक नया वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अनवान अरमान सिहं बनाम इन्द्रजीत सिहं माननीय न्यायालय में दिनाक 06.05.2024 को पेश कर पूर्व में चल रहे स्थगन के बावजूद माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए उसी कृषि भूमि पर एक ओर नया स्थगन ले लिया तथा नया स्थगन जारी हो जाने के बाद चूकि उक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थी केवल आठ माह का है इसलिए तमाम षडयंत्र अप्रार्थी स. 1 द्वारा किया गया, तथा नया स्थगन जारी होने की स्थिति में पूराने वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रकरण इन्द्रजीत सिहं बनाम प्यारा सिहं को प्रार्थना पत्र पेश कर खारिज करवा लिया जबकि मिन अप्रार्थी स. 2 का जवाब पेश हो जाने के कारण उक्त प्रकरण के खारिज किए जाने के सम्बंध में मिन अप्रार्थी स. 2 व उसके अधिवक्ता को कोई सुचना नही दी गई, प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है, परिवार में किसी प्रकार का कोई विवाद नही है एक ही घर में रहते है, एक ही चुल्हे पर रोटी बनाते है, इसलिए कहा जा सकता है कि प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 ने माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुंए उक्त अनवान प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, बनाम इन्द्रजीत सिहं का अवलोकन करे तो पता चलता है कि दोनो पत्रावलियो में ड्राफटिग इन्द्रजीत सिहं बनाम प्यारा सिहं में प्रार्थी के पिता यानिकि अप्रार्थी स. 1 द्वारा यह कहा बलकूल एक समान है, तथा केवल पिता पुत्र की परिभाषा बदली गई है, अनवान प्रकरण था कि अप्रार्थी स. 7 व 8 अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि घरा घरू बंटवारा के समय से ही स्नेहवश अपने भाई मिन वादी/प्रार्थी के पक्ष में छांड़ रखी है जिस वादी/प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है जबकि अनवान प्रार्थना पत्र अरमान बनाम इन्द्रजीत सिहं में प्रार्थी द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त कृषि भूमि स्नेह वश अपने भतीज अरमान के पक्ष में मोखिक रूप से छोड़ रखा है अर्थात दोनो प्रकरणो में उक्त कथन केवल माननीय न्यायालय को गुमराह करने के उदेश्य मात्र अंकित किये गये है, मिन अप्रार्थी स. 2 अपनी खरीदशुदा कृषि भूमि व अपने पिता से प्राप्त कृषि भूमि पर दोनो ही कृषि भूमि का अपने जीवन प्रयंत मालिक व काबिज है प्रार्थी जो मात्र 8 माह का है, उसके द्वारा यह कहना कि दोनो चको में अच्छी मंदी के हिसाब से प्रार्थी का हिस्सा है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर हिस्सा ठेका पर काश्त करते आ रहे है सोचने की बात यह है कि आठ माह का बालक कृषि भूमि हिस्सा ठेका पर काश्त करता आ रहा है अर्थात प्रार्थी द्वारा केवल ओर केवल मनगढंत तथ्य अंकित किये है।

प्रार्थना पत्र की दफा 7 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, पूर्व में प्रस्तुत अनवान वाद पत्र इन्द्रजीत बनाम प्यारा सिहं में इन्द्रजीत सिहं द्वारा यह कहा गया था कि अप्रार्थी स. 1 ता 12 कब्जा काश्त में दखल अंदाजी कर के हक व हिस्सा व कब्जा की भूमि को हडपना चाहते है, प्रार्थी को भूमि से बेदखल करने पर उतारू है, जबकि अनवान वाद पत्र अरमान बनामा प्यारा सिहं में अरमान जो मात्र 8 माह का है उसके द्वारा अपने पिता अप्रार्थी स. 1 सहित अन्य सभी अप्रार्थीगण स. 2 ता 13 को यह कहा गया है कि वे लालची किस्म के है उक्त कृषि भूमि ओने पोने दामो मे विक्रय करना चाहते है अर्थात प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त अनवान वाद पत्र मे वर्णित तमाम कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है प्रार्थी के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:28:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला व सुविध का संतुलन नही बनता है तथा न ही किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति हो रही है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अत जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र झूठे व मनगढंत तथ्यो पर आधारित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी खर्च (कोस्ट) खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री शैलेन्द्र नायक अधिवक्ता द्वारा वकालतनाम व जवाब प्रर्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किंया गया एवं जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स. 1 की ओर से निम्न प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र कि दफा 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र कि दफा 2 मुताविक सजरा खानदान स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र कि दफा 3 मुताविक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। प्रार्थना पत्र कि दफा 4 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। प्रार्थना पत्र कि दफा 5 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी स. 1 के दादा करनैलसिंह व पिता प्यारासिंह की कृषि भूमि है। प्रार्थना पत्र कि दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि को मिन अप्रार्थी स. 1 के दादा करनैलसिहं ने प्रार्थना पत्र कि दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि व पैतृक सम्पति की आय से भगवानाराम वगै. से खरीद कर अपने नाबालिग पुत्रो यानी प्रतिवादी सं. 2, 5, 6, पंजीयन बैयनामा करवाकर राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दिनांक 05.06.1964 को दर्ज करवाना स्वीकार है। वरवक्त बैयनामा प्रतिवादी सं. 2, 5, 6, 7 नाबालिग थे जिनकी आयु लगभग मिठ्ठुसिहं 15 वर्ष प्यारासिहं 12 वर्ष, गुल्लासिहं 10 वर्ष, मालासिहं 8 वर्ष की थी। दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति की आय से मिन अप्रार्थी स. 1 के दादा करनैलसिह द्वारा खरीदी गई हैं जो कि पैतृक की श्रेणी में आती हैं तथा पैतृक ही हैं।

प्रार्थना पत्र कि दफा 6 मुताबिक घरू बटवारा स्वीकार है। जिसमें मिन अप्रार्थी स. 1 व प्रतिवादी सं. 10, 11 को उनका 1.051 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड हक व हिस्सा दोनो चको में अच्छी मंदी के हिसाब से दिया गया है। मिन अप्रार्थी स. 1 के हक हिस्सा यानी 0.350 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड हक हिस्सा निहित है। चुकि प्रतिवादी सं. 10 व 11 मिन अप्रार्थी स. 1 की बहने है जिन्होने अपने हक व हिस्सा की भूमि यानी 0.700 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड स्नेहवश अपने भाई मिन अप्रार्थी स. 1 इन्द्रजीतसिहं के पक्ष में मोखिक रूप से छोड़ रखा है। इस प्रकार मिन अप्रार्थी स. 1 कुल 1.051 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड हक व हिस्सा दोनो चको में से अच्छी मंदी के हिसाब से चक 3 एलजीडब्ल्यु के पं.न. 49/282 42 के किला नं. 17/.210, 18/.210, 221.126, 231.253, 24/253 कि कुल 1.051 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड दिया गया है। मिन अप्रार्थी स. 1 द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी घोषणा, खाता तकसीम व शाशवत व्यादेश बाबत एक अनवान प्रकरण इन्द्रजीतसिहं बनाम प्यारासिहं आदि श्रीमान न्यायालय में पेश किया था जिसमें दिनांक 15.04. 2024 को मिन अप्रार्थी स. 1 के पक्ष में स्थगन आदेश जारी हुआ। जिसके चलते प्रतिवादी सं. 2 ता 9 ने मिन अप्रार्थी स. 1 को राजीनामा के झूठे वादे के चलते उक्त प्रकरण छव्ज च्वे करवा दिया तथा बाद में राजीनामा से भी मुकर गये। मिन अप्रार्थी स. 1 के प्रतिवादी सं. 2 ता 9 के साथ राजीनामा से मिन अप्रार्थी स. 1 कि पत्नी अमनदीप कौर वगै. नाराज भी हुए। प्रार्थी किसी प्रकार कि घोषणा पाने का हकदार नही हैं। प्रार्थना पत्र दफा 7 मनघडत व मिथ्या होने से अस्वीकार हैं।

अप्रार्थी संख्या 1 प्रतिवाद – पत्र/प्रतिप्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र कि दफा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी स. 1 के दादा करनैलसिंह व पिता प्यारासिंह की कृषि भूमि है। प्रार्थना पत्र कि दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि को मिन अप्रार्थी स. 1 के दादा करनैलसिहं ने प्रार्थना पत्र कि दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि व पैतृक सम्पति की आय से भगवानाराम वगै. से खरीद कर अपने नावालिग पुत्रो यानी प्रतिवादी सं. 2, 5, 6, 7 के नाम पंजीयन बैयनामा करवाकर राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दिनांक 05.06.1964 को दर्ज करवाना स्वीकार है। वरवक्त बैयनामा प्रतिवादी सं. 2, 5, 6, 7 नाबालिग थे जिनकी आयु लगभग मिठदसिहं 15 वर्ष प्यारासिहं 12 वर्ष, गुल्लासिहं 10 वर्ष, मालासिहं 8 वर्ष की थी। दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति की आय से मिन अप्रार्थी स. 1 के दादा करनैलसिह द्वारा खरीदी गई हैं जो कि पैतृक की श्रेणी में आती हैं तथा पैतृक ही हैं। यह कि अप्रार्थी सं. 2 ता 9 जो कि लालची किस्म के व्यक्ति है। अप्रार्थी स. 2 अन्य अप्रार्थीगण के नाजायज दबाव मे है। इसी नाजायज दबाब के चलते दफा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि को औने पौने दामो में

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:28:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करना चाहते है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो अप्रार्थी स. 1 को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त ही मुशकिल होगा व अप्रार्थी स. 1 अपनी पैतृक कृषि भूमि से महरूम हो जायेगी। इसलिये अप्रार्थी स. 1 विरूद्व अप्रार्थीगण इस आश्य की शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने के हकदार है कि अप्रार्थी सं.1 अपने पड़. दादा करनैलसिह व दादा प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज दफा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि को अप्रार्थीगण अन्य रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

अप्रार्थी स. 1 द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी घोषणा, खाता तकसीम व शाशवत व्यादेश बावत एक अनवान प्रकरण इन्द्रजीतसिहं बनाम प्यारासिहं आदि श्रीमान न्यायालय में पेश किया था जिसमें दिनांक 15,04.2024 को मिन अप्रार्थी स. 1 के पक्ष में स्थगन आदेश जारी हुआ। जिसके चलते प्रतिवादी सं. 2 ता 9 ने मिन अप्रार्थी स. 1 को राजीनामा के झूठे वादे के चलते उक्त प्रकरण NOT PRESS करवा दिया तथा बाद में राजीनामा से भी मुकर गये। इस लिये मिन अप्रार्थी स. 1 विरूद्व प्रतिवादी सं. 2 ता 9 इस आश्य का शाशवत व्यादेश पाने का हकदार हैं कि वाद पत्र कि दफा 3 व 4 में वर्णित भूमि में से चक 3 एलजीड़ब्ल्यु के पं.न. 49/282 42 के किला नं. 17/. 210, 18/. 210, 22/.126, 23/.253, 24/. 253 कि कुल 1.051 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियो को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मिन अप्रार्थी स. 1 के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी न करे व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

जबाब प्रार्थना पत्र मय प्रतिप्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि शाश्वत व्यादेश विरूद्व प्रतिवादी सं. 2 ता 9 कि वाद पत्र कि दफा 3 व 4 में वर्णित भूमि में से चक 3 एलजीडब्ल्यु के पं.न. 49/282 42 के किला नं. 17/. 210, 18/.210, 22/.126, 23/ 253, 24/.253 कि कुल 1.051 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियो को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मिन प्रतिवादी सं. 1 के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी न करें ।

बहस उभय पक्ष पर भलीभाति मनन किया गया। पत्रावली व पेश प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया। यह न्यायालय स्थगनादेश अनवरत किए जाने पर इसलिए सहमत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त संपति के सभी अंशधारी कब्जे में होना माने जाते है और बिना विभाजन के उसके हिस्से की संपति को बेचान करने के हकदार भी है जबकि अप्रार्थी सं. 2 रिकॉर्डेड खातेदार है। उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पांबद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेश अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में उपलब्ध उपचार/अनुतोष में भूमि का दुर्व्ययन (wasted) हानि (dameged) और अंतरित किए जाने (lienated) जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या उजागर भी नहीं होती है इसलिए अस्थाई व्यादेश अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेश आज दिनांक 29/7/24 को खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:28 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा